

क्र. सं. Sr. No.

शाखा प्रति/ ग्राहक प्रति/क्षेत्रीय कार्यालय प्रति
Branch Copy/ Customer Copy/Regional Office Copy

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया – ग्राहक शिकायत प्रपत्र
UNION BANK OF INDIA - CUSTOMER COMPLAINT FORM

ग्राहक प्रकार CUSTOMER TYPE	मौजूदा ग्राहक/ EXISTING CUSTOMER <input type="checkbox"/>	गैरमौजूदा ग्राहक/ NOT AN EXISTING CUSTOMER <input type="checkbox"/>
नाम NAME	खाता संख्या ACCOUNT NO	
शाखा BRANCH	राज्य STATE	
पता ADDRESS	PIN Code-	
ईमेल EMAIL		
टेलीफोन नं. TELEPHONE NO.	मोबाइल नं. MOBILE NO.	
उत्पाद/सेवा जिसके बारे में आप शिकायत करना चाहते हैं PRODUCT / SERVICE ABOUT WHICH YOU HAVE COMPLAINT		
शिकायत की प्रकृति NATURE OF COMPLAINT		
कृपया शिकायत का संक्षिप्त विवरण दें. PLEASE FURNISH BRIEF DETAILS OF COMPLAINT		

दिनांक DATE:

स्थान PLACE:

हस्ताक्षर SIGNATURE

नोडल अधिकारी/जीआरओ का नाम Name of Nodal Officer/GRO	
<p>नोट Note: बैंक शिकायतों के निवारण के लिए पहला संपर्क बिंदु है, यदि शिकायतकर्ता/उधारकर्ता, बैंक द्वारा दिए गए समाधान/उत्तर से संतुष्ट नहीं है, या बैंक या उसके एलएसपी के खिलाफ दर्ज शिकायत के संबंध में शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर बैंक से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, तो Reserve Bank-Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) के तहत Complaint Management System (CMS) पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है या निम्नलिखित पते पर भौतिक रूप से शिकायत दर्ज की जा सकती है।</p> <p>“Central Receipt and Processing Centre, चौथी मंज़िल, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर-17, सेंट्रल विस्टा, चंडीगढ़- 160017”</p> <p>Bank is the first point for redressal of complaints, if complainant/borrower is not satisfied with the resolution/reply; or has not received any reply within 30 days of receipt of the complaint by the bank for the complaint lodged against bank or its LSP, he/she/it can lodge a complaint over the Complaint Management System (CMS) Portal under Reserve Bank-Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) or send a physical complaint to “Central Receipt and Processing Centre, 4th Floor, Reserve Bank of India, Sector- 17, Central Vista, Chandigarh -160017”.</p>	